राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.1(91)परि/स्था/2020/ जयपुर, दिनांक :

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अशा टीप क्रमांक प.9 (80) कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 द्वारा राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 में सफल अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता, श्रेणी एवं सेवा प्राथमिकता के अनुसार नियत आरक्षण इत्यादि के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (सीधी भर्ती द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) नियम, 1999 के नियम 20 के अंतर्गत सेवा आवंटन किया गया। इसकी अनुपालना में तथा राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान परिवहन सेवा में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियम के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक रूपये 31,100/– प्रतिमाह पर नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :–

क.सं.	मेरिट सं.	रोल न0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	51	1105724	MANEESH SINGH	05.05.1999	BC	–
2.	138	1108002	PUSHPA BENIWAL	12.08.1997	BC,WE	–
3.	148	1110094	SUDHIR KUMAR	07.02.2000	BC,ME,RG	–
4.	161	1100404	DINESH KUMAR	01.06.1986	BC,NG,RG	–
5.	162	1105054	VIRENDRA GADHWAL	30.11.1996	BC,RG	–
6.	171	1112965	TANISHA YADAV	02.07.2001	BC,WE	–
7.	275	1114932	RISHABH RAJ RANAWAT	17.08.1998	EWS	–
8.	674	1113677	MANISH MEENA	25.06.1989	ST	–
9.	984	1109725	JITENDRA KUMAR	18.08.1998	SC,RG	–
10.	1757	1115758	DESHMUKH	21.01.2002	SC,LV	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.19 22:20:29 IST
Reason: Approved

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :–

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के नियमानुसार सही पाये जाने के अध्यधीन होगी।
2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूबना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 एवं एफ. 15 (1) वित्त / नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 के Schedule IV के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा० उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय को अध्यधीन होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे– 4800 पे मैट्रिक्स लेवल एल–12 (समय–समय पर यथा संशोधित वेतन भत्तों/शर्तों के अध्यधीन) में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे परिवीक्षा–प्रशिक्षु (Probationer-trainee) के रूप में नियुक्त किया जाता है।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र सं. प.15 (1) कार्मिक/क–2 /74 दिनाक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान सरकार के अशा टीप क्रमांक प.9 (80) कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के साथ भेजे गये अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र के अनुसार जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में है तथा अपनी राज्य सेवा अवधि में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्मिक विभाग के संदर्भित पत्र के आदेशानुसार इस विभाग में दिनांक 23.03.206 को प्रातः 9.30 बजे परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त अभ्यर्थी आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिर्पोटिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 9:30 बजे अपनी उपस्थिति हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS), रानी रोड, उदयपुर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। पूर्व सेवा वाले अभ्यर्थी का वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. इन अभ्यर्थियो को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढायी जा सकती है। निर्धारित अवधि मे विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. इन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वही होगी, जो इन्होंने लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा संबंधी आवेदन–पत्रों में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के उपरांत मान्य कर दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.19 22:20:29 IST
Reason: Approved

8. इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।
9. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन/प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह व संतान की स्थिति आदि के राज्य सरकार पूर्ण संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी तथा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि के संबंध में भविष्य में कोई सत्यापन संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।
10. चरित्र सत्यापन में विलम्ब होने/शेष रहने की स्थिति में अभ्यर्थी की नियुक्ति को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी को, अगर वह विवाहित है, तो उसे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र इस विभाग को कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "self declaration" प्रपत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसी अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।
13. ये नियुक्तियॉ राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 एवं राजस्थान सरकार द्वारा सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये समस्त अधिनियम/नियम/उपनियम अधिसूचनाओं में समय–समय पर संशोधित अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी व इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।
14. जिन अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि उनमें कोई अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण के उपरांत दो वर्ष की सेवा अवधि में सेवा छोडकर जाता है/त्याग देता है, तो इस अवधि में प्राप्त वेतन तथा उसके प्रशिक्षण काल में प्राप्त की गई राशि की दुगुनी राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। किंतु इस अवधि में उसे भुगतान की गई यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जावेगी। प्रत्याशियों को इस आशय का एक बंध–पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निष्पादित करना होगा।
15. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
16. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
17. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थापन की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.19 22:20:29 IST
Reason: Approved

18. इन अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध कई एफ आई आर. दर्ज नहीं है. किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नही है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/ दोषमुक्त किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/ दण्ड/राजीनामा/दोषमुक्त/एफआईआर आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाना है। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

19. उक्त सेवा आवंटन मा. न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

20. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर वांछित प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों एवं फोटोयुक्त पहचान के साथ निम्नलिखित सामग्री के साथ उपस्थित होंवे :–

(1) प्रशिक्षण सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषा– पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए ग्रे पेंट और व्हाईट शर्ट एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए हल्के रंग की साड़ी।
(2) विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि वे विवाहित हैं)
(3) पासपोर्ट साईज फोटो की 03 फोटो 03 स्टाम्प साईज फोटो 03 प्रतियां।
(4) बैंक अकाउन्ट का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति स्वप्रमाणित, एक कैंसिल चैक)।
(5) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
(6) जन–आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
(7) कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
(8) नियुक्ति आदेश की प्रति।

21. अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी 1. श्री राजेश शर्मा, संयुक्त परिवहन आयुक्त (मो.न. 9461631218) एवं 2. श्री हनुमान सहाय शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (9460141938) होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ओम प्रकाश बुनकर)
संयुक्त शासन सचिव,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.19 22:20:29 IST
Reason: Approved

क्रमांकः एफ.1(91)परि/स्था/2020/ जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रानी रोड, उदयपुर।
5. आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—4/2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राज., जयपुर।
12. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
13. श्री राजेश शर्मा, संयुक्त परिवहन आयुक्त (नोडल अधिकारी) एवं श्री हनुमान सहाय शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
14. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती...।
15. गोपनीय शाखा/संस्थापन शाखा/भुगतान शाखा।
16. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.19 22:20:29 IST
Reason: Approved

new E: \$K/new orders 2022

RajKaj Ref No.: 21177307